



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56668

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 7497 वर्ष 2026

सुमित

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: वरिंदर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वरिंदर सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राम कुमार वर्मा की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह जमानत याचिका वाद अपराध संख्या 534/2025, धारा 352, 351(3), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन टांडा, जिला रामपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक गाँव अलीपुर, चाचीपुर, तहसील बिल्सी, जिला बदायूं का मूल निवासी है, जहाँ आवेदक के पिता की कृषि भूमि थी। लेकिन जन सेवा केंद्र के संचालक द्वारा उसका पता गलत तरीके से जिला रामपुर बताया गया है, जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी। और आवेदक के प्रमाण पत्र को जाली घोषित कर दिया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक के पिता की किसान बहन (पृष्ठ संख्या 59 पर संलग्न) से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदक अनुसूचित जाटव जाति से संबंधित है और उसके पिता की कृषि भूमि गाँव अलीपुर, चाचीपुर, तहसील बिल्सी, जिला बदायूं में है। इसलिए, आवेदक ने कोई जालसाजी नहीं की है; केवल गलती से जिला रामपुर का नाम बदायूं के स्थान पर गलत तरीके से लिख दिया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक ने संलग्न हलफनामे में एक मामले के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 17.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और ध्यान में रखते हुए अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता और जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय पर हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सुमित** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए, मुकदमे/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा। ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह नीति जमानत देने की रणनीति और मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा भेजे। यह आदेश 'इन रे: सुओ मोटो रिट याचिका (सीआरएल.) संख्या 4, 2021' से संबंधित है, जिसका निर्णय 31.01.2023 को हुआ था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है।

19 मार्च, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"